भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 24
22/07/2025 को उत्तरार्थ

विषय: खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

***24. श्रीमती डी.के. अरुणा:**
श्री इटेला राजेंदर:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी आदान लागतों को पूरा करने के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की गई है क्योंकि उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक परेशानी का सबब बन गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक किए गए अध्ययनों/की-गई-कार्रवाई का फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का श्रेय स्वयं को दे रही है लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित "लागत (सी2)+ 50 प्रतिशत" फार्मूले से बहुत कम है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी फसलों और उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए कृषि सुधारों के माध्यम से क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और असम सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- वार देश के प्रत्येक किसान को लाभ मिल सके?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य' के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 24* के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): सरकार, प्रत्येक वर्ष, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात्, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, 14 खरीफ फसलों सहित 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

एमएसपी की सिफारिश करते समय, सीएसीपी भूमि, जल और उत्पादन के अन्य संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने और उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफा सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्पादन लागत, समग्र माँग-आपूर्ति की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अंतर-फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, इन लागतों में नकद और वस्तु के रूप में किए गए सभी प्रकार के लागत भुगतान और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है।

संवर्द्धित एमएसपी के बढ़ने से किसान लाभान्वित हुए हैं, जो खरीद के आंकड़ों और किसानों को दी गई एमएसपी राशि से स्पष्ट है। वर्तमान वर्ष सहित विगत पाँच वर्षों के दौरान खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

नीति आयोग (पूर्ववर्ती योजना आयोग) ने वर्ष 2016 में "किसानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की प्रभावकारिता" शीर्षक से एक अध्ययन किया था। अध्ययन में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाया गया है कि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी ने अध्ययन के अंतर्गत शामिल 78% किसानों को, उच्च उपज देने वाले बीजों की किस्में, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कटाई के उन्नत तरीके आदि जैसे उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

(ग) और (घ): वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी, जिससे तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम सहित संपूर्ण देश के किसान लाभान्वित हुए। मार्केटिंग सीजन 2025-26 हेतु 22 अधिदेशित फसलों की उत्पादन लागत और घोषित एमएसपी का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

किसानों के लाभ के लिए सरकार ने कई अन्य पहलें की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) वर्ष 2018-19 में बजट घोषणा के पश्चात्, सरकार ने 22 अधिदेशित फसलों के एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर निर्धारित किया था।
(ii) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
(iii) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
(iv) प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
(v) एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
(vi) 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन एवं संवर्धन
(vii) प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
(viii) संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस)
(ix) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
(x) स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि' (एग्रीश्योर)
(xi) राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन
(xii) कृषोन्नति योजना
(xiii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

अनुबंध I

'खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य' के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 24* के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एमएसपी फसलों की खरीद और एमएसपी मूल्य

सभी एमएसपी फसलें	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
कुल खरीद (एलएमटी में)	1,368	1,083	1,118	1,089	1,175
कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	2.91	2.25	2.47	2.63	3.33

दिनांक 30.06.2025 तक

अनुबंध II

'खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य' के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 24* के भाग (ग) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

अधिदेशित फसलों की लागत, एमएसपी और प्रतिलाभ (मार्केटिंग सीजन के अनुसार)				
क्र.सं.	जिंस	केएमएस-2025-26		
	खरीफ फसलें	लागत	एमएसपी	प्रतिलाभ (%)
1	धान (सामान्य)	1579	2369	50
	(ग्रेड ए) ^		2389	
2	ज्वार (हाइब्रिड)	2466	3699	50
	(मालदंडी) ^		3749	
3	बाजरा	1703	2775	63
4	रागी	3257	4886	50
5	मक्का	1508	2400	59
6	अरहर (तूर)	5038	8000	59
7	मूंग	5845	8768	50
8	उड़द	5114	7800	53
9	कपास (मध्यम रेशा)	5140	7710	50
	(लंबा रेशा) ^		8110	
10	मूंगफली	4842	7263	50
11	सूरजमुखी बीज	5147	7721	50
12	सोयाबीन	3552	5328	50
13	तिल	6564	9846	50
14	नाइजरसीड	6358	9537	50
	रबी फसलें	आरएमएस- 2025-26		
15	गेहूँ	1182	2425	105
16	जौ	1239	1980	60
17	चना	3527	5650	60
18	मसूर (लेंटिल)	3537	6700	89
19	रेपसीड/सरसों	3011	5950	98
20	कुसुम	3960	5940	50
	अन्य फसलें			
		2025		
21	कोपरा (मिलिंग)	7721	11582	50
	(बॉल)^		12100	
		2025-26		
22	पटसन	3387	5650	67

^धान (ग्रेड ए), ज्वार (मालदंडी), कपास (लंबी रेशा) और कोपरा (बॉल) के लिए लागत डेटा उपलब्ध नहीं है।

*****